कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 07/03/2022

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ–82/2019–20 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1)से (5) में दर्शित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, की राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे0मे0)		
1	2	3	4	5	6	7
रायगढ़	रायगढ़	घुटकुपाली प.ह.न.	ख. नं. / रकबा (हे.में) / ख. नं. / रकबा (हे. में) / ख. नं. / रकबा (हे. में) 149/5 / 0.162 / 163/26ख / 0.056 / 163/17 / 0.012 163/29ख / 0.032 / 163/21 क / 0.008 / 163/32 / 0.089 163/23 / 0.032 / 171/1ख / 0.073 / – / – योग कुल खसरा नं. 08 रकबा 0.464 हे0		कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजनार्थ एनटीपीसी लारा निर्माण हेतु छूटी हुई भूमि भू–अर्जन

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ जिला रायगढ़ को पुनर्वास और पुनर्वस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भीम सिंह)
कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन
उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिहस्ताक्षर

अ.वि.अ. (रा.) एवं
भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)